<u>सं0- 8/2016/300/52-3-2016</u>

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 □□□□: दिनांक 29 जनवरी, 2016

विषयः-माध्यमिक शिक्षा विभाग की भाँति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित अरबी तथा फारसी मदरसों में नये शैक्षिक सत्र एवं उसके अनुसार शिक्षकों के सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र स0 1772/□.□.□.□□./□.□./2015, दिनाँक 17.08.2015 □□□□0 1885/□.□.□.□□./□.□./2015, दिनाँक 24.08.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग की भाँति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित अरबी तथा फारसी मदरसों में भी शिक्षा सत्र एक अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक रखते हुए सत्र के मध्य में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को सत्र की समाप्ति की तिथि अर्थात 31 मार्च तक सेवा में माने जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कृपया तद्नुसार समस्त सम्बंधित को अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

http://sravanadesh.up.nic.in

<u>सं0 300(1)/52-3-16-तद्दिनाक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0

2- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 शिक्षा परिषद,

3- समस्त मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0

4- समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अधिकारी, उ0प्र0

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)

http://shasanadesh.up.nic.in